कार्यवाही विवरण

मेसर्स जी.आर.इंटीग्रेटेड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुड़पार, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में **Greenfield project for a DRI based Steel Plant to produce Beneficaiated Iron Ore throughput - 12,00,000 TPA, Iron Ore Pellets - 18,00,000 TPA, Sponge Iron - 1,98,000 TPA, Mild Steel Billets - 1,94,040 TPA, Rerolled Steel Products through Hot Charging and through Reheating Furnace - 2,24,070 TPA, Ferro Alloys - 20,000 TPA and/or Pig Iron - 40,000 TPA From 2.5 MVA X 4 Nos SAF, Captive Power Plant - 32 MW (16 MW through WHRB and 16 MW through CFBC), Cement (PPC, PSC or OPC)-1,00,000 TPA and Fly Ash Bricks - 1,38,600 TPA** के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 18.04.2022 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–गौठान के पास, ग्राम–मुड़पार, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स जी.आर. इंटीग्रेटेड स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–मुड़पार, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में Greenfield project for a DRI based Steel Plant to produce Beneficaiated Iron Ore throughput - 12,00,000 TPA, Iron Ore Pellets - 18,00,000 TPA, Sponge Iron - 1,98,000 TPA, Mild Steel Billets - 1,94,040 TPA, Rerolled Steel Products through Hot Charging and through Reheating Furnace - 2,24,070 TPA, Ferro Alloys - 20,000 TPA and/or Pig Iron - 40,000 TPA From 2.5 MVA X 4 Nos SAF, Captive Power Plant - 32 MW (16 MW through WHRB and 16 MW through CFBC), Cement (PPC, PSC or OPC)-1,00,000 TPA and Fly Ash Bricks - 1,38,600 TPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस , नई दिल्ली, दिनांक 15.03.2022 एवं दैनिक समाचार पत्र पत्रिका, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 15.03.2022 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 18.04.2022 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान– गौठान के पास, ग्राम–मुड़पार, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बेमेतरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–बेमेतरा, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–बेमेतरा, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मुड़पार, जिला– बेमेतरा , क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास, भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति,सुझाव,विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के

दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 98 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई है।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 18.04.2022 को समय प्रातः 11:05 बजे संयुक्त कलेक्टर, जिला–बेमेतरा की अध्यक्षता में स्थान–गौठान के पास, ग्राम–मुड़पार, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम संयुक्त कलेक्टर, जिला बेमेतरा द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री बी.के. सिंह, जी.एम., उद्योग प्रतिनिधि एवं कंसलटेन्ट श्री श्रीकांत व्यवहारे, एनाकॉन लेबोरेटरीज प्रा.लि. नागपुर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला बेमेतरा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री देवनारायण सोनवानी, सरपंच, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। कंपनी को भूमि 9 एकड़ मिले हे। हमला कंपनी नहीं चइए 100 बात के एक बात। बोलो भारत माता की जय।

2. **श्री राधेश्याम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, संयोजक जनजागरण मंच छत्तीसगढ़, रायगढ़।**

➢ मैं सभी का वंदन करता हूं। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। आज की जन सुनवाई वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है। इसके लिये मंत्रालय ने नोटिफिकेशन 14 सितंबर 2006 के अनुसार जन सुनवाई संपन्न कराने का है। किसी भी प्लाण्ट की स्थापना के लिये ईआईए रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वह सरलीकृत होना चाहिए। ये ईआईए रिपोर्ट पूरी तरह फाल्स है। यहां की ग्रामसभा से पूछे बिना यहां पर जन सुनवाई कराई जा रही है जो कि गलत है। यह लगभग डेढ़ दर्जन ग्राम पंचायत है। ये जन सुनवाई अवैधानिक है। यहां फूड प्रोसेसिंग

के वादे सरकार द्वारा किया गया था, ये प्लाण्ट लगने के बाद एक दर्जन जिले विगत 20–40 वर्ष से प्रदूषित हो रहे हैं, प्लाण्ट में प्रदूषण के समुचित उपाय होना चाहिए। कंपनियों को सरकार प्रोटेक्शन देती है। चाहे कोई भी सरकार आ जाये, जन जीवन बिमारियों से प्रभावित हो चुका है। ईआईए रिपोर्ट क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए जिससे जनता उसे समझ सके। कंसलटेन्ट कंपनी ने वास्तविकता को छुपाया है। मेरा अनुरोध है कि ईआईए रिपोर्ट फर्जी है। समस्त ग्राम पंचायत को उपलब्ध नही है। अंतर जिला व अंतर्राज्यीय जिला में एक साथ दो जन सुनवाई कराई जाती है। आज की जन सुनवाई धोखाधड़ी से किया जा रहा है। इस कंपनी के सभी लोग इसके लिये जिम्मेदार है।, ईआईए रिपोर्ट बनने के बाद एक जांच समिति उसकी जांच करती है। आज कलेक्टर महोदय द्वारा जन सुनवाई करवाये जाने का निर्देश दे दिया जाता है जो कि गलत है। गांव में जन सुनवाई के लिये मुनादी कराई जाना चाहिए, अनपढ़ आदमी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आदमी है। एक भी ग्राम का विडियोग्राफी नहीं कराया गया है। स्पेशल कमेटी द्वारा संबंधित कंपनी की ईआईए रिपार्ट तैयार करवाकर जांच करवाई जाती है। आज आप जिला दण्डाधिकारी के पद पर आज यहां पर हैं। उच्चतम न्यायालय के मुंख्य न्याधाधिपति के रूप में आप हैं, फर्जी आंकड़े देने वालों के उपर जल्द से जल्द कार्यवाही करें, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये। 10 किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को इसके बारे में कंपनी द्वारा नहीं बताया गया है। पीठासीन अधिकारी इस पर कार्यवाही करें, इस जन सुनवाई को निरस्त करें, पुनः ईआईए रिपोर्ट बनाई जाये। इस जन सुनवाई को आगे की प्रक्रिया में संचालित किया जाता है। यह जन सुनवाई संविधान का उल्लंघन है। आपके विरोध में मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रदेश को शुद्ध हवा जल मिलना चाहिए। कंपनी के विकास के लिये कंपनी वालों की सहायता न करें। उस व्यक्ति का सुझाव लिया जो तथ्यात्मक बात रखने में सक्षम हो। इस जन सुनवाई को यही पर निरस्त करें मैं इसका विरोध करता हूं। वन्दे मातरम्।

3. **श्री मिथलेश कुमार बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं। उरला, सिलतरा जैसे हम बनने नहीं दे सकते।

4. **श्री रूद्रअवतार, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं। हमको कंपनी नहीं चाहिए।

5. **श्री गोपाल प्रसाद कुर्रे , ग्राम–बोरिया, जिला–बेमेतरा।**

➢ जय सतनाम, जय सतनाम आदरणीय महोदय हम छोटे किसान है। हम अपना गांव छोड़कर कहां जायेंगे। हमें या तो जहर दे दो या गोली मरवा दो। उसके बाद आप यहां प्लाण्ट खुलवा लिजिये, या फिर हमें गोली मरवा दीजिये। हमारे गांव की जनता भोले भाले है। हमारे देश के गद्दार यहां बैठे हुए हैं, प्रशासन को पत्थर मारो ऐसा कह रहे थे, हम आप लोगों को मार कर कैसे जियेंगे। हमें ऐसे प्लाण्ट नहीं चाहिए, हमे जीने की अवसर दीजिये, ये प्लाण्ट हानिकारक है। ऐसा प्लाण्ट हमको नहीं चाहिए। जय हिन्द

6. **श्री ओम प्रकाश देशलहरे , ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ जय सतनाम, मैं कंपनी का विरोध करता हूं। बोलो भारत माता की जय

7. **श्री शोभित बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। जय सतनाम

8. **श्रीमती निर्मला बाई , ग्राम–बोरिया, जिला–बेमेतरा।**
➢ मुझे यह कंपनी नही चाहिए।

9. **श्रीमती कुमारी, ग्राम–बोरिया, जिला–बेमेतरा।**
➢ मुझे कंपनी नहीं चाहिए।

10. **श्री सुखुराम यादव , ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ कंपनी नहीं बनना चाहिए।

11. **श्री महेश कुमार बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ प्रदूषण युक्त कम्पनी नहीं चाहिए।

12. **श्री वशिष्ठ बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

13. **श्री विदेशी यादव, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ कंपनी नही चाहिए।

14. **श्री नीलकमल बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

15. **श्री दशरथ यादव, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ कम्पनी से प्रदूषण होगा। मैं कंपनी का विरोध करता हूं। मेरे पास 37 डीसमिल जमीन है।

16. **श्री चैतराम गायकवाड़ , ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

17. **श्री चंद्रकांत बघेल, पंच वार्ड 8 ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ यहां कम्पनी नहीं बनना चाहिए। मैं कंपनी का विरोध करता हूं। प्रदूषणयुक्त कंपनी नही चाहिए।

18. **श्री महेन्द्र कुमार यादव, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ यहां कंपनी नहीं बनना चाहिये।

19. **श्री नारायण, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

20. **श्री अजय कुमार यादव , ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

21. **श्री सुरेन्द्र कुमार बघेल , ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

22. **श्रीमती चंद्रकला मनहर, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ फैक्ट्री ल लगावत हो त काला खाहू, हम अन छोटे–मोटे किसान हन। हम सब एकर पूर्ण रूप से विरोध करत हन, ये क्षेत्र किसान के हरेए, हमर क्षेत्र के धान से पूरे राज्य ला वितरण होथे, ये कंपनी ल एनओसी देसे हानि होही। सरकार नरवा गरवा घुरवा ल कइसे

चलाही, ये कंपनी के पूर्णतः विरोध होना चाहिए। आज हमन 45 डिग्री तापमान म बैइठे हन, कंपनी लगही त 100 डिग्री तापमान हो जही, मै विरोध दर्ज कराते हव।

23. **श्रीमती रेवती, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ स्पंज ऑयरन कम्पनी का मैं विरोध करती हूं।
24. **श्रीमती रेखा देशलहरे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं इसका विरोध करती हूं।
25. **श्रीमती धनेश्वरी बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ स्पंज ऑयरन कम्पनी के मोर से गलती से दस्तखत करवाये गये हे। मैं कम्पनी विरोध करत हों। कम्पनी नहीं बनना चाहिए।
26. **श्रीमती लीला भारती, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ कम्पनी नहीं बनना चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूं।
27. **श्रीमती शिवकुमारी बघेल, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ कम्पनी नहीं बनना चाहिए।
28. **श्रीमती सरोज सोनवानी, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ यह कम्पनी नहीं बनना चाहिए। मैं कंपनी का विरोध करती हूं।
29. **श्रीमती राधा बन्धे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ यहां कम्पनी नहीं बनना चाहिए। मैं कंपनी का विरोध करती हूं।
30. **श्रीमती संगीता बांधे, ग्राम–कीरितपुर, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।
31. **श्री चंद्रेश मारकण्डे, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।
32. **श्री सूरज मारकण्डे, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**
➢ यहां कम्पनी नहीं बनना चाहिए।
33. **श्री नवीन कुमार डहरिया, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–कबीरधाम।**
➢ मैं इस कम्पनी का पूर्ण विरोध करता हूं।
34. **श्री प्रेम बंजारे, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं इस कंपनी का विरोध करता हूं।
35. **श्री तुमनलाल, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ कम्पनी नहीं बनना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए।
36. **श्री खेमू चतुर्वेदी, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ यह कम्पनी नहीं बनना चाहिए।
37. **श्री महेन्द्र कुमार देशलहरे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं इस कंपनी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।
38. **श्री पिन्टू राजा, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**
➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

39. **श्री देवेश बघेल, ग्राम–खुड़मुड़ी, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी लगने का समर्थन करते हूं। साथ ही साथ आप प्रदूषण का ध्यान रखे, इसके साथ ही आसपास के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये सभी बात को ध्यान में रखे, मैं इस स्पंज ऑयरन का समर्थन करता हूं।

40. **श्री सूर्यकांत औसरिया, ग्राम–भिंभौरी, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं समर्थन करता हूं। इसके खुलने से हमें रोजगार मिलेगा।

41. **श्री जीवन साहू, ग्राम–भिंभौरी, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं समर्थन करता हूं। पर्यावरण को ध्यान में रखा जाये तभी कंपनी खोला जाये। इसके लगने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

42. **श्री नेम सिंग साहू, ग्राम–नेवनारा, जिला–बेमेतरा।**

➢ आज हमर छ0ग0 ला हरियर छ0ग0 कहिथे, लेकिन हम देखत हन पारी पारी से उद्यागेपति मन अपन पैर पसारे के चक्कर म हे, आज जगह जगह जन सुनवाई करवाकर अपन पैर पसारे के कोशिश करत हे। हरियर बेमेतरा के नाम से जाने जाथे, तो ऐला कंपनी लगा के करिया बेमेतरा काबर करत हव, प्रदूषणमुक्त से प्रदूषणयुक्त करना चाहत हे। मैं एकर पूरजोर विरोध करत हों, बेमेतरा जिला में कोई फैक्ट्री नहीं लगना चाहिये। कोई जगह में कंपनी लगाया जाये। धन्यवाद।

43. **श्रीमती केकती बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमें कम्पनी नहीं चाहिए।

44. **श्रीमती हेमिन बाई बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ कम्पनी नहीं चाहिए मुडपार में, मैं इसका विरोध करती हूं।

45. **श्रीमती मीना बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ कम्पनी नहीं चाहिए चण्डीभाटा में।

46. **श्रीमती मोनिल बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

47. **श्रीमती मुंगा बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ चण्डीभाठा में कंपनी नई होना हे।

48. **श्रीमती रमला, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। कम्पनी नहीं होना।

49. **श्रीमती धर्मिन कुर्रे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

50. **श्रीमती कुन्ती देशलहरे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं। यहां कम्पनी नहीं होना।

51. **श्रीमती रंजना कुर्रे , ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं इस कम्पनी खुलने का विरोध करती हूं।

52. **श्री रेखालाल बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

53. **श्रीमती जमुना देवी, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ स्पंज ऑयरन का कम्पनी नहीं होना हम विरोध करते हैं।

54. **श्रीमती निर्मला, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारे गांव में कम्पनी नहीं होना।

55. **श्रीमती जाम बाई, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारे गांव में कम्पनी नहीं खुलना चाहिए।

56. **श्रीमती पांचो बाई, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारे गांव में कम्पनी नहीं होना। मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

57. **श्रीमती रत्ना, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ कम्पनी नहीं होना।

58. **श्रीमती सुरेखा यादव, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां कम्पनी नहीं बनना चाहिए।

59. **श्रीमती जामीन बाई, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां कम्पनी नहीं बनना चाहिए।

60. **श्रीमती मनिषा बंजारे, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां कम्पनी नहीं होना।

61. **श्रीमती पूर्णिमा, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां कम्पनी नहीं बनना चाहिए।

62. **श्री सुशीला धृतलहरे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ यह कम्पनी हमारे गांव में नहीं होना। इसके लिए हम विरोध करते हैं।

63. **श्रीमती रीना कोसरे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं इस कम्पनी का विरोध करती हूं।

64. **श्रीमती चितरेखा, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमर गांव में कम्पनी नहीं होना।

65. **श्रीमती जानकी, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारे गांव में कम्पनी नहीं होना चाहिए।

66. **श्रीमती चन्द्रा, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ कम्पनी नहीं खुलना चाहिए।

67. **श्री अनूप कुमार बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां मीटिंग किसलिये जमाया है। बिना परमिशन के कुछ नहीं होता है। फैक्ट्री खोल हमर लोग लइका उही म जिही का।

68. **श्री राहुल टिकरिहा, जिला–बेमेतरा।**

➢ ये जन सुनवाई का मैं विरोध करता हूं। हमर बेमेतरा कृषि प्रधान बेमेतरा है। विशेषकर बेमेतरा जिला के पहिचान है। ओनहारी फसल में भी बेमेतरा प्रथम स्थान पर है। यहां हार्टिकल्चर, सब्जी व अन्य खेती में अग्रणी क्षेत्र है, ये हमला प्रदेश पूरा प्रथम स्थान में लेकर जाथे, चना उत्पादन गेहूं उत्पादन धान उत्पादन में अव्वल हे, खेती से संबंधित उद्योग के आवश्यकता है। ड्रेगन फ्रुट के खेती विदेश में अधिक मांग है। नोटिफिकेशन में रोजगार के आवश्यकता बताया गया है। दिनों–दिन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमर यहां खेती में अपार संभावना है। मैं खुद कृषक का बेटा हूं, मुझे कृषि कार्य के लिये लोग नहीं मिलते हैं। आज के जन सुनवाई ईआईए 2006 अनुसार हो रहा है।

शासकीय भूमि में 6 खसरा नंबर में जन सुनवाई कराया गया था। जिसे रद्द करने की तैयारी की जा रही है। आज की जन सुनवाई अवैधानिक है, लोक सुनवाई के प्रकिया 45 दिन के भतीर होना चाहिए, ईआईए 2006 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में दो जिला आने पर नियमावली के साथ एक साथ दोनों जगह पर जन सुनवाई कराया जाना चाहिए, मुड़पार में ही केवल जन सुनवाई के ईआईए की रिपोर्ट सौंपा गया, जो गलत है। उसमें 500 पेज का अंग्रेजी है। जो समझ में नही आता है, इसे कम से कम हिन्दी में जमा करना था। साथ ही सभा पंचायत में जमा करना था, प्लाण्ट में पानी के व्यवस्था के तहत शिवनाथ से जल लिया जाना बताया गया है। 24 लाख लीटर पानी की आवश्यकता बताया गया है। हमर किसान पानी के लिये तरस रहे हैं। तो ऐसे कंपनी लगने पर किसान को पानी कहां से मिलेगा, हमारा भूजल गिरता जा रहा है। वाटर लेवल बर्बाद करने की तैयारी हो रही है, पानी को दूषित करने की तैयार की जा रही है, भूजल स्तर ठीक नहीं रहेगा। केमिकल प्लाण्ट के बोर का पानी पीने लायक नही रहता है, हमारे नहर नाली का पानी उद्योग लगने से गांव के किसान वालों के लिये नहीं छोड़ा जायेगा। फसल के अंतर्गत सिंगल फसल की बात की गई है, 56 प्रतिशत में सिंगल फसल होगा, तिवरा सिंचने परे ओनहारी की फसल होगी, कंपनी द्वारा दी गई रिपोर्ट फाल्स बनाया गया है। घर में बैठकर बनाया गया है, उपर में बैठी कमेटी इसके लिये जिम्मेदार है, रोजगार के अंतर्गत हम सब कोई प्रकार से पिछड़े नही हैं, हमारे प्रदेश में शक्कर कारखाना की घोषण की गई थी, मिल्क चिलिंग प्लाण्ट की घोषण की गई थी, कृषि मेला से इसकी घोषण की गई थी, यहां लोहा के फैक्ट्री बिना घोषणा के पहुंच गया है, बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है, मेरे उपर कई प्रकार आरोप लगता है। जो करता है उसी के उपर ये आरोप लगता है, हम सब कृषि प्रधान क्षेत्र को बचायेंगे, यदि आपकी फैक्ट्री आयेगी तो केवल बर्बादी ही लायेगी, जिससे भूजल बर्बाद हो जायेगा। कृषि बर्बाद हो जायेगा, छत्तीसगढ़िया को इसमें केवल 10 प्रतिशत ही रोजगार मिलता है। बाहर के लोगों को 90 प्रतिशत रोजगार मिलता है। ऑक्सीजन लेवल से कोरोनाकाल में ज्यादा मौत हुआ है। हम एनजीटी कोर्ट की मदद लेंगे, यह लोक सुनवाई पूर्णत अवैध है। हम इसका विरोध करते हैं।

69. **श्री भीखम प्रसाद साहू, ग्राम–नेवनारा, बेरला, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं प्रदूषणयुक्त कंपनी के खिलाफ में आपत्ति दर्ज कराये बर आये हो, हमर गांव के आसपास उरला, सिलतरा, रायपुर लगे, वहां पर जाने से हमारे सादे कपड़े गन्दे हो जाते हैं। कंपनी लगे से रोजगार मिलेगा ऐसा सोचना गलत है। वहां काम करने वाले यू.पी. बिहार के होते हैं कम लोग ही हमारे छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं, ऐसा देखा गया है। बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है, हमन ये देखतहन कही कोई जगह में परिया, खाली जमीन नही मिलय, हर जगह यहां फसल नजर आता है। कंपनी खुलना चाहिये जहां पर बंजर जमीन हो वहां पर खुले, आज कंपनी के विरोध में मुड़पार आये हैं, मोहरेगा, खुड़मुड़ी, भिंभौरी, बेरलाकला 25 गांव के सरपंच से चर्चा में पता चला है कि ये लोग कंपनी के आपत्ति करे हैं, अगर कंपनी आप खोल लिये और क्षेत्र की जनता नाराज है तो कंपनी चलाना मुश्किल है, इससे वातावरण प्रदूषित होगा, बेरला बेमेतरा खेती है तो किसान है, किसान के बिना कोई जनता जिन्दा नई रह सके, आज यहां सब किसान है, अधिकारी, कर्मचारी भी किसान के बेटे हैं, हमर क्षेत्र प्रदूषित नही होना चाहिए, कंपनी ऐसी खोली

जाये जिससे किसान को नुकसान न पहुंचे, प्रदूषणयुक्त कंपनी नहीं खुलना चाहिए। ताकि आने वाला भविष्य सुखमय रहे।

70. **श्री किशोर कुमार शर्मा, ग्राम–ताता, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। नासा के वैज्ञानिक प्रमाणित किये है कि हमारा शहर प्रदूषित श्रेणी में आता है फिर भी यहां पर कंपनी लगाने की बात कह रहे हैं, मैदानी जगह पर कंपनी लगाया जा सकता है, कंपनी लगेगा तो हर जगह बर्बाद हो जायेगा, मैं इसका तनमन से विरोध करता हूं। शासन को अगर उद्योग लगाना है तो एक क्षेद्य निश्चित कर ले और उद्योग लगाये, पुस्तैनी जमीन को बर्बाद न होने दे, विधानसभा में ये सब बात उठाना चाहिए, नासा की रिपोर्ट सबसे बड़े प्रमाण पत्र है।

71. **श्री पवन कुमार बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

72. **श्री बिरेन्द्र बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं एक विकलांग हूं। मुझे आज तक कुछ नही मिला, सौ सोनार के एक लोहार के, जे.के. लक्ष्मी में हमें काम पर नही दिया गया। हम आधा एकड़ में धान में फसल लेते हैं। सीमेण्ट उत्पादन से जो धूल उड़ता है तो वह 10 साल बाद इसका नतीजा पता चलता है कि फसल होता है या नही होगा। फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। मैं विरोध करता हूं।

73. **श्री मुरारी ठाकुर, उपसरपंच, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

74. **श्री आनंद यादव, ग्राम–बोरिया, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां हर जगह धान की खेती होती दिख रही है, अगर यहां उद्योग लगेगा तो धान की खेती नही दिखेगी। मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

75. **श्री प्रहलाद वर्मा, ग्राम–सुरहोली, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का पूरजोर विरोध करता हूं। यहां जन सुनवाई लगाने की आवश्यकता नही है। जब हमारा जिला कृषि प्रधान जिला घोषित किया गया है। तो फैक्ट्री लगाने के लिए जन सुनवाई क्यों हो रहा है। जब हर जगह स्पंज ऑयरन कंपनी का विरोध हो रहा है तो मैं भी उद्योग का विरोध करता हूं। फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए।

76. **श्री धनंजय कुमार साहू, ग्राम–सुरहोली, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

77. **श्री मनोज सिन्हा, ग्राम–नवागांव, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां गांव में प्रदूषणयुक्त कम्पनी नहीं खुलना चाहिए।

78. **श्री हिमेन्द्र साहू , ग्राम–परपोड़ा, जिला–बेमेतरा।**

➢ यह फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

79. **श्री मनोहर यादव, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

80. **श्री गजानंद बारले, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

81. **श्री रेशमलाल बघेल, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ स्पंज आयरन को विरोध करता हूं। यहां कम्पनी नहीं खुलना चाहिए।

82. **श्री दिलीप बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ स्पंज ऑयरन कम्पनी का विरोध करता हूं।

83. **श्री अजय कुमार बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

84. **श्रीमती हेमलता पाल, ग्राम–करेली, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। शुद्ध वातावरण अशुद्ध नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूं।

85. **श्रीमती मंदाकिनी कुर्रे, ग्राम–करेली, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

86. **श्रीमती कुमारी बाई विश्वकर्मा, ग्राम–करेली, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

87. **श्रीमती दशरीन बाई, ग्राम–करेली, जिला–बेमेतरा।**

➢ कंपनी गांव में नहीं होना चाहिए।

88. **श्री पुनीत बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ यह कम्पनी गांव में नहीं होना चाहिए।

89. **श्री रामहृदय वर्मा, ग्राम–चण्डी, बेरला, जिला–बेमेतरा।**

➢ जल, जंगल और जमीन को बचाना है तो कंपनी नहीं लगना चाहिए। इससे जल स्तर गिर जायेगा, जनता का स्तर भी गिर जायेगा, वह बीमार हो जायेगा। हम देखते हैं जब कुकुर का बच्चा जन्म लेता है तो सफेद रहता है वो एक हफ्ता में काला हो जाता है। छत्तीसगढ़िया आदमी का एक ही पहचान भोला भाला, कंपनी खुलने से हमारे देश की पहचान समाप्त हो जायेगा। जीवन दूभर हो जायेगा, शांत व्यक्ति आक्रोषित हो जायेगा। मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

90. **श्री बुधारूराम, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

91. **श्री विसंभर साहू , ग्राम–करेली, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमला विरोध हे, कम्पनी यहां खुलना ही नहीं चाहिए।

92. **श्री सुखदेव, ग्राम–करेली. जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

93. **श्रीमती सरजीत खुटे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमारे गांव के आसपास खेती किसानी में इफेक्ट पड़ेगा। मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

94. **श्रीमती चम्पा बंजारे, स्वयं सेविका, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

95. **श्री रोहित कुमार बघेल , ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ कम्पनी नहीं खुलना चाहिए। हमारे गांव के वातावरण को दूषित करेगा। मैं इसका विरोध करता हूं।

96. **श्री परमदास बघेल, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ स्पंज ऑयरन कंपनी का विरोध करता हूं।

97. **श्री सुभाषचंद्र बघेल, ग्राम– मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

98. **श्री योगेश तिवारी, किसान नेता नेवनारा, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं अपनी बात को बोलने आया हूं, रखने आया हूं। आपसे निवेदन है कि बेमेतरा जिला में जन सुनवाई का विरोध हो रहा है। यहां की जनता नही चाहती है कि यहां पर प्लाण्ट खुले, बड़ा दुख का विषय है कि सरपंच जी यहां पर मौजूद है। बेमेतरा जिला के बेरला ब्लाक में बार–बार जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। आसपास के लोगों को जानकारी नहीं होती है। आप लोग गांव में मुनादी नहीं करवाये हैं, हर जगह 20–25 किलोमीटर की दूरी तक इसकी सूचना दी जानी चाहिए। पंचायत में चस्पा कराया जाना चाहिए, मैं विरोध दर्ज कर रहा हूं। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है इस बीच आपके द्वारा जन सुनवाई रखी गई है ताकि आधे लोग ही आकर यहां पर जन सुनवाई का विरोध करे, एक मात्र बेमेतरा जिला खेती के मामले में सुरक्षित है इसको क्यों बर्बाद करने पर लगे हैं। बेमेतरा जिला को स्पेशल उद्योग का दर्जा क्यो दिया गया, प्रदेश में बंजर जमीन पर उद्योग लगाया जाये। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है। यहां हर प्रकार की फसल होती हैं। जहां पर किसान किसानी करते हैं वहां पर उद्योग न लगाये। शिवनाथ व खारून दो नदियां है, जिससे खेती के लिये पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। लेकिन उद्योग को एग्रीमेन्ट करके पानी दिया जा रहा है यहां पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उद्योगपतियों को पहले सुरक्षा प्रदान किया जाता है। पूरे बेरला ब्लॉक को बर्बाद करने का बिड़ा उठा लिया है, उरला को शिफ्ट करने का कार्य चल रहा है। हिन्दी में रिपोर्ट बनवाई जाये जिससे सब लोग इसे समझ सके, हिन्दी के माध्यम से जानकारी दी जाये, पंचायत से एनओसी जारी नहीं हुआ है। क्या इसके बिना जारी जन सुनवाई किया जा सकता है। प्लाण्ट लगाने के लिये एनओसी आवश्यकता है कि कृपया बताये। केन्द्र सरकार की नीति नियम को शुक्रिया करते हैं। पंचायत के सरपंच इतना अधिकार दिया है। हमारी बात कलेक्टर तक पहुंचा दे, ताकि लोग अपनी बातो को रख सके, कंपनी के समर्थन में है कि विरोध मे हैं, विरोध के बावजूद प्लाण्ट लगाया जा रहा है। निस्तारी के लिये पानी नहीं होने के बावजूद प्लाण्ट को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां कम से कम प्रदूषण वाला प्लाण्ट न लगाये, आप ऐसा जिला चुने जहां पर किसी प्रकार उत्पादन न हो वहां उद्योग लगाये, बांध का निर्माण करें, जिससे किसानों को भी पानी मिले, लिंक नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। 8 जिला में डबल फसल के लिये किसानों को पानी मिलेगा। कृषि योग्य भूमि को नष्ट न करें, बंजर भूमि पर प्लाण्ट लगाये। वृक्षारोपण के लिये 200–300 करोड़ का बजट होता है, उरला, सिलतरा, रायपुर में प्लाण्ट अधिक होने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हाईकोर्ट ने उरला को हटाकर अन्यत्र लगाने की सोच रहा है। यही मेरा विरोध है कि पाल्युशन प्लाण्ट न लगाये, यहां फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाया जाये। बाद में प्रदूषण वाला प्लाण्ट लगाया जाये। जय छत्तीसगढ़ जय गुरू घासीदास, जय सतनाम, जय हिन्द जय छ0ग0

99. **श्रीमती मंगला, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ चारागाह की जगह में कम्पनी नहीं होना चाहिए। मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

100. **श्री तुलाराम बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

101. **श्री वेदप्रकाश बघेल, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ ये जमीन कई किसान के नाम पर था। मेरे पिता जी के नाम पर भी, जिसका केस मेरे द्वारा पिता जी के साथ केस लड़ा गया, मेरे पिता लगान पटाया है। सतनामी बाहुल्य गांव है, मुड़पार संदिग्ध जोन में आ जायेगा। उद्योग लगने से, मुंड़पार की जमीन में कंपनी न लगाये उसे निरस्त करें। कंपनी लगाना है तो प्रोसेसिंग वाला प्लाण्ट लगाये, कंपनी लगने से माहौल बिगड़ेगा, मैं कंपनी का विरोध करता हूं। कृषि आधारित कंपनी लगाया जाये। हम लोग धान फसल लेते हैं, एक फसली गांव है, उपर का पानी बांध में आता है और बहकर चला जाता है। बांध की जमीन को किसानों को वापस दिया जाये, तहसील में मुड़पार में 1913 का नक्शा है, कंपनी न लगाये।

102. **श्री हेमन्त कुमार जांगड़े, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मुझे गांव में स्पंज आयरन की कंपनी नहीं चाहिए। गांव में मवेशी के खाने के लिये चारागाह नहीं है। कंपनी आने से कहां जायेंगे। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

103. **श्री कमलेश बंजारे, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

104. **श्री धनेन्द्र भारती, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

105. **श्री ओम प्रकाश यादव, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

106. **श्री उदय राम साहू , ग्राम–नेवनारा, जिला–बेमेतरा।**

मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

107. **श्री दीपक कुमार जांगड़े, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। यहां पर चारागाह नहीं है, कंपनी खुलने से प्रदूषण फैलेगा। हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए।

108. **श्री सुखदेव टंण्डन, ग्राम–बोरिया, जिला–बेमेतरा।**

➢ ग्राम बोरिया में भी जन सुनवाई रखा गया था, इसके बाद सरदा, नेवनारा, अब मुड़पार में की जा रही है। बोरिया गांव से सांकरा पड़ता है, एक केमिकल कंपनी के असर से जहरिला गैस निकलता है जिससे बोर का पानी पीने योग्य नही रहा है। उसका मैं पुरजोर विरोध किया था। वह कंपनी बन्द होना चाहिए। व्ही.एन.आर. कंपनी से बोर का पानी खराब हो गया है। हम हिन्दी पढ़ने लिखने वाले हैं अंग्रेजी हमे नही आती है, हमसे इस कंपनी को परमिशन की आवश्यकता नही है। हम खेती किसान में मस्त हैं, हम कंपनी का विरोध करते हैं। नरवा, गरवा, घुरवा, के चक्कर में पूरा गांव बिगड़ गया है। कंपनी के चक्कर में हमारा लड़का बिगड़ जायेगा, परिवार बिगड जायेगा। इसे लगाने के लिये गांव का सरपंच परमिशन नहीं देता है। हमारी समस्या को कोई अधिकारी नही सुनता है। बाहरी लोगों की बात को तुरन्त सुना जाता है। मैं इस उद्योग का विरोध करता हूं।

109. **श्री भगवती प्रसाद, ग्राम–गठुलाकला, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

110. **श्री भोलू राम साहू, ग्राम–सांकरा, जिला–बेमेतरा।**

➢ आज यहां मुडपार में जन सुनवाई रखा गया है। स्पंज आयरन के लिये, जो कि बड़े दुख की बात है, सरदा, नेवनारा, मुड़पार में जन सुनवाई की जा रही है, गौठान क्षेत्र को

प्लाण्ट लगाकर बर्बाद कर रहे हैं, बेमेतरा कृषि प्रधान जिला है। उरला, सिलतरा में छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। बच्चों का इलाज भी डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। बहन भाईयों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये सब प्रदूषण का कारण है, डाक्टर भी ईलाज करने में समर्थन नहीं है। आज यहां की स्थिति भी वहीं होने जा रही है। मैं कंपनी का घोर विरोध करता हूं।

111. **श्री दीपेश साहू, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं अपनी आपत्ति दर्ज करने आया हूं। सभी लोग विरोध कर रहे हैं। उद्योग धन्धा से किसी का फायदा नहीं हुआ है। केवल उद्योगपतियों को ही इसका लाभ मिला है। किसान भाई को नुकसान है, किसानों का क्या होगा ? पानी की समस्या है, खान–पान की समस्या है। कई प्रकार की बिमारी हो रही है। किसानों की किसानी समाप्त करने से वे कहां जायेंगे, ब्रिटिश शासन की नीति किसान भाईयों के साथ अपनाई जा रही है। कृषि आधारित उद्योग लगाया जाये, ऐसी सोच हमारे शासन की होनी चाहिए। मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

112. **श्री ध्रुव कुमार पाटिल, ग्राम–पटेल, जिला–बेमेतरा।**

➢ में स्पंज आयरन कंपनी में काम करता हूं। मैं जायसवाल निको इण्डस्ट्री में काम करता हूं। बुजुर्ग पट्टा लेकर इन्हे जमीन बेच दिये, उन्हे ऐसी जगह में नौकरी दिया जाता है कि वे कुछ माह करके वहां से भाग जाते हैं। उद्योग के आने से यहां उरला, सिलतरा जैसी स्थिति होगी। मैं मरार के जात हव, सब्जी का पैदावार करता हूं। मैं महाघोर विरोध करता हूं।

113. **श्री विष्णु वर्मा, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।**

➢ हम अनाज खाते हैं लोहा नहीं खाते। धरती में एक बीज डालते हैं और हजार गुना खेती देती है। तो हम इस लोहा उद्योग का हम विरोध करते हैं।

114. **श्रीमती रूखमणी वर्मा, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं इस कंपनी का विरोध करती हूं।

115. **श्री केजराम वर्मा, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।**

➢ छत्तीसगढ़ ल बाहरी लोग मन के नजर लग गे हे। बेमेतरा हरिहर को करिया बनाये वाले मन के। मैं ये उद्योग के विरोध करत हों।

116. **श्रीमती मोहनी देशलहरे, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

117. **श्रीमती ललिता देशलहरे, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं इस उद्योग का विरोध करती हूं।

118. **श्रीमती रामकली, ग्राम– पेण्डीतराई,. जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

119. **श्रीमती मनीषा मानिकपुरी, ग्राम– पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

120. **श्रीमती रेशम बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

121. **श्रीमती अनिता यादव, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए।

122. **श्रीमती गुलाब बाई, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

123. **श्रीमती जनिया यादव, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करती हूं।

124. **श्री बंशी राठी, जिला–बेमेतरा।**

➢ किसान गर्मी में मर रहे हैं, मुड़पार में बांध के लिये जमीन थी, जहां सरकार ने चंद पैसो में प्लाण्ट लगाने के लिये दे दिया है। शासन केवल उद्योगपतियों के लिये सोचती है। उद्योगपतियों का जेब भरती है। आने वाले समय में उद्योग रहित जिला घोषित करो, किसान टमाटर पैदाकर पचास पैसे किलो में बेचता है, सरकार किसान के लिये अनेक प्रकार की योजना लाती है जो कि दिखाई नहीं देती। मैं कंपनी का घोर विरोध करता हूं।

125. **श्री उमेश कुमार बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

126. **श्री पुनित बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

127. **श्री हरि प्रसाद पाल, ग्राम– बोरिया, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का पुरजोर विरोध करता हूं।

128. **श्री गणेश वर्मा, ग्राम–घटियाकला, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

129. **श्री लच्छन सिंग कुर्रे , ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

130. **श्री प्रभुनंदन बंजारे, ग्राम–पेण्डीतराई जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

131. **श्री रूचरेश्वर कुमार वर्मा, ग्राम–करेली, जिला–बेमेतरा।**

➢ आज यहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन इसके पीछे पपीता केला आदि की खेती की जाती है। कंपनी लगने से फसल बर्बाद हो जायेगा। उद्योग लगने से क्या होगा ? कम्पनी लगने से 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा बाकि लोग कहां जायेंगे। मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

132. **श्री चंद्रहास टण्डन, ग्राम–मुड़पार, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

133. **श्री सत्यनंद वर्मा , ग्राम–घटियाकला, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

134. **श्री मनीराम मारकण्डे, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।**

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं।

135. **श्री धनेश भारती, ग्राम–पेण्डीतराई, जिला–बेमेतरा।**

➢ यहां कम्पनी नहीं खुलना चाहिए।

136. **श्री टीकम साहू, ग्राम–कौसलपुर, मोहरेंगा, जिला–बेमेतरा।**

➢ फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

137. **श्री अवधेश चंदेल, पूर्व विधायक, जिला–बेमेतरा।**

➢ आज यहां जन सुनवाई में सब व्यक्ति अपने अपने ढ़ंग से बोले है। इस कंपनी के विरोध में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रखे हैं। हमारी कीमत आपके नजर में कुछ भी नहीं है। हम किसानी बात को नहीं भूलते हैं। सरकारी जमीन में उद्योग लगने से गांव की पूरी व्यवस्था बिगड़ जायेगी। चरवाहा अपने मवेशी को चारे के लिये कहां पर ले जायेगा। सबका एक ही विरोध है कि कंपनी नहीं लगनी चाहिए, आप सब भी किसान के बेटे हैं। कंपनी लगता है तो सबसे पहले उसे पानी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है, शिवनाथ और खारून का पानी उन्हे दिया जायेगा तो बहुत परेशानी होगी। स्टाप डेम का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिये स्टोर कर वितरित करने का था। गरीब आदमी को पानी की व्यवस्था हो जाये। पहले 8–10 किलोमीटर दूर जाकर किसान पानी लाकर अपना मवेशी को पिलाते थे। स्टापडेम बनने से कंपनी वालों को इससे फायदा नजर आया, वे खारून नदी से पानी लेने लगे, कंपनी का गन्दा पानी को खारून में छोड़ देते हैं। आम किसान के लिये वह पानी उपयोग योग्य नही रह गया। सबसे पहले मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। ये कंपनी वाले 1000 फीट नीचे जाकर पानी ले सकते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है। आम किसान के पास ये सुविधा नही रहती है। ये कृषि प्रधान ब्लॉक है, क्योंकि यहां पर हर प्रकार खेती होती है। आप किसान को जीवन देने आये या मृत्यु देने आये हैं। कंपनी लगने से किसान प्रभावित होगा, वातावरण प्रदूषित होगा। ये क्षेत्र मरार लोगों का क्षेत्र है, यहां पर छोटे–छोटे किसान खेती करते हैं, फैक्ट्री लगेगा तो उसका नुकसान कृषक भाई को होगा। शासन प्रशासन इसे उजाड़ना चाहता है। ऐसी उसकी मंशा है, जीने का साधन इससे समाप्त हो जायेगा, पानी का उपयोग अधिक होगा तो किसान को अधिक होगा। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। कंपनी वाले क्या किसी दान में जमीन किसी को दिये हैं, हम जीवन के अंतिम क्षण तक इसका विरोध करेंगे। वातावरण का प्रदूषण जरूर होगा। सिलतरा का हाल देख रहे हैं, प्रदूषण के कारण आज सब भाई कह रहे थे, कि रात को कपड़े सुखाया जाये तो सुबह तक वह काला पड़ जाता है। उसी प्रकार बड़ी में सुबह के समय धूल की परत जम जाती है, बड़ी काली पड़ जाती है, जहां पर बंजर जमीन हो वहां पर आप उद्योग लगाये। यहां एक किसान बता दे कि मेरे जमीन में कृषि कार्य नही हो रहा है, यहां दो–तीन फसली कार्य करते हैं उसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। मेरे द्वारा दुर्ग–भिलाई अस्पताल में जाकर देखा गया कि गरीब आदमी का पैर का कई दिन से एक्स–रे नहीं किया गया था, जो कि सही नही है। आप इस पूरे क्षेत्र को चारागाह बनाने आये हो जिसे हम सफल नही होने देंगे, आप सब माहौल ही बदल दे रहे हो, आप हमारी आवाज को जीवन भर नही दबा सकते हैं। वातावरण क्या प्रदूषित नही हो रहा है, वातावरण में प्रदूषण होगा तो व्यक्ति इससे प्रभावित होगा, ये सुनवाई ईमानदारी से हो रही है तो आज के बाद आगे नही होना चाहिए। चाहे कोई जगह हो, जनता को गुमराह मत करो, खेती बाड़ी की चिन्ता आपको करनी चाहिए, गरीब किसान के द्वारा धान, गेहूं, दाल आदि फसल के उत्पादन को आप हम सब ग्रहण करते हैं। आप खाने के लिये आर्गेनिक खेतीयुक्त खाद का उपयोग करना चाहते हैं वही दूसरी ओर गरीब कृषक के बारे कुछ भी ध्यान नही दे रहे हैं। यहां की जमीन में हमारा अधिकार है, यहां के हर चीज में हमारा अधिकार है, आज हम खेती करेंगे और आने वाले समय में भी खेती कार्य करेंगे। कहीं भी आपके द्वारा उद्योग लगाने के लिये जमीन मांगा जाता है। हर प्रकार का कृषि उपज यहां पर हो रहा है, आप आगे के भविष्य के लिये भी सोचे, देश की जनता आप सबको उखाड़ फेकने का तैयार है, आने

वाले समय में इस उद्योग को लगने के लिये सफल नही होने देंगे, हम सब एकर विरोध करत हन, इंसान का परिश्रम खाली नही जाता है, उसका परिणाम सुखद आता है, ऐसा मुझे भरोसा है, हम अपनी दिल की बात नही रख पा रहे हैं, तो क्या कंपनी लगने पर क्या हम स्वतंत्र रह पायेंगे, जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट फैक्ट्री में गांव के लोगों को रोजगार में नहीं रखा जाता है, यहां शुगर प्लाण्ट लगाने की बात कही जाती है, फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने की बात कही जाती है, फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने की घोषणा वर्ष 2018 में की की गई थी, अभी किसान को आवश्यकता है यूरिया, पोटाश, पानी मिल जाये। दिल से विरोध है। जय हिन्द जय भारत जय छत्तीसगढ़।

138. कु0 पुष्पांजलि देवांगन, ग्राम–चण्डी, जिला–बेमेतरा।

➢ मैं कंपनी का विरोध करता हूं। इससे जल, वायु प्रदूषण हो सकता है, मनुष्य बीमार पड़ सकते हैं। बांध का उपयोग किसान खेती के लिये करते हैं, हम भी इस बांध के पानी का उपयोग करते हैं। यह उद्योग 10 किलोमीटर क्षेत्र को प्रदूषित कर सकता है। धन्यवाद

उपरोक्त वक्तव्य के बाद संयुक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब संयुक्त कलेक्टर जिला बेमेतरा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री विकास ठाकुर एनाकॉन लेबोरेटरीज प्रा.लि., नागपुर द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

❖ वायु प्रदूषण – प्रस्तावित परियोजना में आधुनिक तकनीकी पर आधारित वायु प्रदूषण नित्रण उपकरण जैसे ईएसपी बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर आदि का उपयोग किया जावेगा। परियोजना में पार्टीकुलेट मैटर का स्तर निर्धारित मानक 50 मिग्रा/सा. घनमीटर के स्थान 30 मिग्रा/सा. घनमीटर प्रस्तावित है। तदैव परियोजना से आसपास के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

❖ जल प्रदूषण एवं जल का दोहन – प्रस्तावित परियोजना शून्य निस्त्राव वाली परियोजना है। जिसमें परयोजना सीमा से बाहर जल का निस्तार प्रस्तावित नहीं है तदैव परिसर के बाहर जल प्रदूषण नहीं होगा। साथ ही परियोजना में दूषित जल का उपचार करने के लिए ईटीपी अर्थात् दूषित जल उपचार संयंत्र तथा एस.टी.पी. अर्थात् सीवेज उपचार संयंत्र प्रस्तावित है। जिसमें से उपचारित जल का प्रकिया पुर्नउपयोग/ग्रीनबेल्ट में/क्वेचिंग हेतु/डस्ट सप्रेशन हेतु एवं फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने हेतु किया जावेगा। साथ ही परियोजना हेतु सतही जल शिवनाथ नदी से लिया जाना प्रस्तावित है एवं भूमिगत नदी से लिया जाना प्रस्तावित है एवं भूमिगत जल स्त्रोतों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

❖ स्वास्थ्य पर प्रभाव – प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत समस्त प्रकार के प्रदूषणों के स्तर को मानकों के अनुरूप रखने तथा उनकी निगरानी के पर्याप्त उपाय किए गए हैं। इस हेतु लगभग 43.75 करोड़ रूपये व्यय प्रस्तावित है जिससे आसपास के वातावरण पर परियोजना के प्रभाव नगण्य होंगे। परियोजना में पार्टीकुलेट मैटर का स्तर

निर्धारित मानक 50 मिग्रा/सा. घनमीटर के स्थान पर 30/50 मिग्रा./सा. घनमीटर प्रस्तावित है। तदैव परियोजना से स्वास्थ्यगत प्रभाव नगण्य होंगे। सीआईआर मद से पैथोलॉजी केंद्र स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जावेगा।

- ❖ स्थानीय लोगों को रोजगार बाहरी लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलती है। – परियोजना में 1140 नया रोजगार की संभावना उत्पन्न होगी। जिसमें छ.ग. शासन की नीति अनुसार अकुशल हेतु 100 प्रतिवर्ष, अर्धकुशल हेतु 70 प्रतिशत एवं प्रशासनिक हेतु 40 प्रतिशत रोजगार स्थानीय निवासियों को दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के लगने से लगभग 2000 अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा।
- ❖ सूचना नहीं मिली/स्थान आदि – परियोजना हेतु टीओआर के अनुसार ईआईए बनाकर कंपनी ने छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल को पब्लिक हीयरिंग हेतु आवेदन किया तथा छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जिला प्रशासन के सामंजस्य से कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक, समय तथा स्थान निर्धारित किया। जन सुनवाई की सूचना 30 दिनांक पूर्व दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कर जन सामान्य को दी गई। छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल ईआईए की प्रति विभिन्न स्थानों पर अवलोकन हेतु रखवाई गई। जन सुनवाई की मुनादी भी कराई गई। आप सभी की उपस्थित सूचना के पर्याप्त प्रसारण का प्रमाण है।
- ❖ आसपास खेती पर बुरा प्रभाव होगा – प्रस्तावित परियोजना में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् समस्त प्रकार के प्रदूषणों के स्तर को मानकों के अनुरूप रखने तथा उनकी निगरानी के पर्याप्त उपय किये गए हैं। इस हेतु लगभग 43.75 करोड़ रूपये व्यय प्रस्तावित है। जिससे आसपास के वातावरण पर परियोजना के प्रभाव नगण्य होंगे। जैसा कि बताया गया है कि धूलकण का स्तर 30 मिलीग्राम/सा. घनमीटर से कम रखा जावेगा। शून्य निस्त्राव रखा जावेगा। तदैव आसपास के कृषि पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव संभावित नहीं है।
- ❖ फुड प्रोसेसिंग उद्योग लगाये जावे – परियोजना के सीआर मद के तहत फुड प्रोसेसिंग के कुटीर उद्योग हेतु प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा जावेगा। जिसके अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन होगा।
- ❖ बाहरी लोगो को प्राथमिकता मिलेगी तदैव स्थानीय लोगो को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जावे – परियोजना के सीआर मद के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार एवे स्वरोजगार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।
- ❖ जमीन जबरदस्ती ली गई है – किसी पर भी अवैधानिक दबाव डालकर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इच्छुक व्यक्तियों से ही बाजार मूल्यों पर वैधानिक रूप से क्रय की जा रही है।
- ❖ सड़कों पर दबाव – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर मद में आसपास की सड़कों का पुर्ननिर्माण किया जावेगा। जिससे वर्तमान स्थिति में सुधार होगा। जिसका ग्रामीणों को भी फायदा होगा।
- ❖ वायु प्रदूषण से श्वांस रोग होने का खतरा – प्रस्तावित परियोजना में आधुनिक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण प्रस्तावित है। जिससे धूलकण प्रदूषण को 30 मिलीग्राम/सा. घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है तदैव वायु की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव संभावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जावेगा तथाएक सीईआर मद से पैथोलॉजी केंद्र स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जावेगा।

- ❖ भूमिगत जल दूषित होगा – परियोजना में न तो भूमिगत जल का उपयोग होगा न ही दूषित जल का संदूषण ही भूमिगत जल में होगा। इस हेतु आवश्यक वैज्ञानिक उपायों को ईएमपी में शामिल किया गया है तदैव परियोजना से भूमिगत जल के दूषित होने की संभावना नही हैं।

- ❖ पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीआर का व्यय पब्लिक हियरिंग क सुझावों एवं मुद्दों पर आधारित पर्यावरण उन्नयन हेतु खर्च किया जाना आवश्यक है। सीआर के तहत होने वाले कार्यों से आसपास के क्षेत्र के पर्यावरण को संरक्षित करने एवं उनके सुधार हेतु सहायता होगी।

- ❖ परियोजना प्रस्तावित आसपास के कृषि को सुधारने तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादों के उचित मूल्य मिलने हेतु प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम चलाकर उन्नयन कृषि, जैविक कृषि आदि हेतु ग्रामीणों को सहायता प्रदान करेगा। परियोजना की स्थापना के साथ परियोजना में अपनाये जाने वाले पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं सीआर तथा सीएसआर से आसपास के पर्यावरण पर न केवल प्रभाव नगण्य होगा। वरन परियोजना से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष रोजगारों एवं अप्रत्यक्ष रोजगार से स्थिति में सुधार होगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 138 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 19 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

संयुक्त कलेक्टर, जिला–बेमेतरा द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 3.10 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

संयुक्त कलेक्टर
जिला–बेमेतरा